समाहरणालय,मधुबनी
(जिला नजारत शाखा)

पत्र संख्या 171 /जि0नजारत

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
बिहार, पटना ।

मधुबनी, दिनांक 26 मई, 2016 ई0।

विषयः— **निविदा के प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला अतिथिगृह, मधुबनी से संबंधित 30 के0भी0ए0 जनरेटर क्रय हेतु निविदा की पाँच प्रति(सी0डी सहित) संलग्न कर भेजते हुये अनुरोध है कि किसी दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक—यथावर्णित।

विश्वासभाजन,

25/5/16

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी

26/5/16

समाहरणालय, मधुबनी
(जिला नजारत शाखा)

अल्पकालीन निविदा

जिला समाहरणालय, मधुबनी के जिला अतिथि गृह के लिये 30 के0भी0ए0 का जनरेटर सेट की आपूर्ति हेतु इच्छुक/प्रतिष्ठान से निम्नांकित विवरणी एवं शर्तो पर मुहरबंद/सीलबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है:-

आपूर्ति की जानेवाली सामग्री की विवरणी

Sl. No.	Details of Items	Qty
1	2	3
1	30 KVA Soundless Generator Set Sigle Phase(Make- Kirloskar, Mahindra, Eicher & Other reputed ISO Certified Brand etc.	01

निविदा की अन्य शर्ते निम्नवत् है:-

1. निविदादाता को तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में मोहरबंद होना अनिवार्य होगा।
2. अग्रधन संबंधी राशि मो0 10,000.00 (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से निर्गत हो, तकनिकी निविदा के साथ मूलप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अथवा नगद राशि नाजिर रसीद के माध्यम से नगद जिला नजारत में जमा करना होगा ।
3. निविदादाता तकनिकी निविदा में सामग्री से संबंधित सभी विशिष्टियाँ अंकित करेगें तथा क्रय समिति की बैठक में निर्धारित तिथि को कैट लॉग भी अपने साथ लायेगें। क्रय समिति की बैठक में किस मॉडल की सामग्री का क्रय किया जाना है, इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।
4. तकनिकी निविदा के साथ बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण-पत्र, वाणिज्यकर प्रमाण-पत्र/पैनकार्ड/आयकर रिटर्न पिछले तीन वर्षो की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
5. वित्तीय निविदा निम्न प्रपत्र में दायर करना होगा:-

जनरेटर सेट का प्रकार (30 के0भी0ए0 सिंगल फेज)	दर सभी करों सहित (रूपये में)	अधिष्ठापन हेतु लागत (रूपये में)	कुल राशि (रूपये में)

6. वारंटी अवधि में सामग्री में किसी तरह का खराबी आने पर इसके बदले नये सामग्री की आपूर्ति करना होगा ।
7. निविदादाता का नाम बिहार सरकार/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग/कार्यालय की काली सूचीं में दर्ज नहीं होना चाहिये। इस आशय का फोटोयुक्त शपथ-पत्र मूलरूप में संलग्न करना होगा ।
8. आपूर्तिकर्त्ता को आपूरित सामग्री की गारंटी/वारंटी समाप्ति के पश्चात् दो वर्षो तक निःशुल्क अपने मैकेनिक से मरम्मत कराने का एकरारनामा करना होगा ।

9. सामग्री का निविदा दर किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिये । सामग्री को लाने एवं ले जाने हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा । साथ ही समर्पित दर में सभी तरह का टैक्स सम्मिलित होगा तथा आपूर्तिकर्त्ता स्वयं किसी प्रकार के कर देयता के लिये जिम्मेवार होगें।

10. सभी करों सहित दर एवं अधिष्ठापन लागत को जोड़कर न्यूनतम दर का निर्धारण किया जायेगा ।

11. चयनित निविदादाता यदि उपरोक्त विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित अवधि में जनरेटर की आपूर्ति नहीं करते है तो जमानत की राशि जप्त करते हुये आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

12. तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 10–06–2016 को 01–00 बजे अपराह्न तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर या हाथों–हाथ जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधुबनी के कार्यालय प्रकोष्ठ में समर्पित कर सकते है, जिसे उसी दिन जिला क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में 03–00 बजे अपराह्न में खोला जायेगा । निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है। किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा ।

13. कार्यादेश निर्गत होने की तिथि के सात दिनों के अंदर आपूतिकर्त्ता को सामग्री आपूर्ति करना होगा ।

14. इस निविदा से संबंधित जानकारी madhubani.bih.nic.in के बेवसाईट पर भी देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।